

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

प्रपक्षकार पुत्र इंगरराम उर्फ
इंगरमत जाति महाजन नि०
दावा बाबत :- भासता
४४ RTAक
मुकदमा नम्बर :- 167/15
निर्णय दिनांक :- 28/10/21

बनाम 1. इंगरमत उर्फ इंगरराम वल गरीराम
2. रमिन्द्र कुमार पुत्र इंगरराम
3. शिवकुमार पुत्र इंगरराम
4. रमिन्द्र कुमार
5. इन्द्र पुत्री इंगरराम
6. पुष्पा पुत्री इंगरराम
7. कमलेश पुत्री इंगरराम
8. विजेता पुत्री इंगरराम
9. मन्दीरा पुत्री इंगरराम
10. सेवा पुत्री इंगरराम नि० धामन

वादी की ओर से वकील सुबोध शर्मा की व प्रतिवादीगण की ओर से

श्रील. श्रीलक्ष्मण शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.10.21 को

मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश

दिया जाता है कि सौदी भौषा चक्र 4 सीरियल के खाता न० 29/33 के

मु० न० 41 के किला न० 21 ता 24, कुल 1.0120 है, चक्र 6 सीरियल

के खाता न० 36/35 के मु० न० 6 के किला न० 1, 2, 9 ता 12,

19 ता 22 कुल 2.5300 है नदरी, मु० न० 7 के किला न०

15, 16, 25 कुल 0.7590 है नदरी मु० न० 23 किला न०

5, 6 कुल 0.5060 है मु० न० 24 किला न० 1, 2, 8 ता 10

कुल 1.2650 है, कुल किला 20 कुल 5.0600 है, नदरी 4.9340 है

गैंग मु० खाता 0.0260 है गैंग मु० खाता 0.100 है भूमि जो

प्रतिवासी न० 1 इंगरराम उर्फ इंगरमत के नाम राजस्व रिपोर्ट में दर्ज

है में ~~इंगरमत~~ प्रतिवासी न० 1 ^(इंगरमत) प्रतिवासी न० 2 ता 4

वर्धिसा बराबर के खातेदार गरीराम घोषित किचे जाते हैं, प्रतिवासी

न० 1, 5 ता 10 ने अपना एक हिस्सा वारी ल्या प्रतिवासी न० 2 ता 4

के पत्र में ल्या कर शुल्क कर लिख है भर; ल्या किचे गये हिस्से पर


निष्पानुसार पंजीवन शुल्क अदा करने व इतिभूमि बैंक के

खाते के दो खाते मुहर देने के बार उपरोक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट

में अंकन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़